बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

संख्या–08 / RTE 15–17 / 2026...1163... पटना, दिनांक–...03/11/2026

मानक संचालन प्रक्रिया
(SOP)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के एवज में प्रतिपूर्त्ति की राशि का भुगतान।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के एवज में प्रतिपूर्त्ति की राशि संबंधित निजी विद्यालयों को दिए जाने का प्रावधान है।

2. शैक्षणिक सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के लिए प्रतिपूर्त्ति की राशि की प्राप्ति हेतु विभागीय निदेश के आलोक में 3000 निजी विद्यालयों द्वारा उक्त समूह से संबंधित नामांकित बच्चों से संबंधित सूचनाएँ, ट्यूशन फीस एवं पोषाक तथा पाठ्यपुस्तक मद की राशि की प्रविष्टि ज्ञानदीप पोर्टल पर की गई। प्रविष्ट डाटा के आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा नामित जाँच पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है। उक्त जाँच प्रतिवेदन को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर कार्यवाही अपलोड किया जाता है। तदोपरांत निदेशालय स्तर पर अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए संबंधित निजी विद्यालयों को DBT के माध्यम से प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

3. जिला स्तर पर पूर्व से उक्त कार्य हेतु गठित समिति :–

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त अथवा कोई अपर जिला पदाधिकारी	सदस्य
3	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
4	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0 एवं समग्र शिक्षा अभियान)	सदस्य सचिव
5	जिला लेखा पदाधिकारी	सदस्य

4. विभागीय पत्रांक 1117 दिनांक 18.12.2024 में दिए गए निदेश के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को डाउनलोड कर नामित जाँच पदाधिकारी को जाँच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। जाँच पदाधिकारी संबंधित निजी विद्यालयों के अपलोड डाटा का स्थलीय जाँच संलग्न विहित जाँच प्रपत्र में करेंगे। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त समिति विचार करेगी एवं सत्रवार विद्यालय के लिए प्रति वर्ग प्रति छात्र अनुमान्य प्रतिपूर्त्ति की राशि की अनुशंसा करेगी। इस कार्य हेतु प्रत्येक जाँच पदाधिकारी को एक या दो निजी विद्यालय दिया जाएगा ताकि जाँच की कार्रवाई शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

5. विभाग स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 एवं 2025–26 में RTE Act, 2009 की धारा 12 (1) (c) के तहत ऑनलाईन नामांकित छात्र/छात्रा का भी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त कर ली जाय, ताकि अद्यतन प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जा सके।

6. शैक्षणिक सत्र 2024–25 से उक्त समूह के बच्चों का नामांकन निदेशालय स्तर पर निर्मित ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से कराया गया है। अतएव शैक्षणिक सत्र 2024–25 एवं 2025–26 में ऑनलाईन नामांकित बच्चों का संबंधित अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध है।

7. उक्त समूह के नामांकित सभी बच्चों के एवज में संबंधित निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु उन बच्चों का आधार नंबर एवं अपार आइ०डी० पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड एवं अपार आई.डी. के उक्त समूह के बच्चों के नामांकन के एवज में संबंधित निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय विवरणी एवं बैंक खाता संबंधी सूचना पोर्टल पर दर्ज करेंगे। बैंक खाता अनिवार्य रूप से विद्यालय के नाम से ही होना चाहिए।

9. शैक्षणिक सत्र 2024–25 एवं 2025–26 में प्रतिपूर्ति राशि भुगतान किए जाने हेतु संबंधित निजी विद्यालयों द्वारा विद्यालय विवरणी एवं बैंक खाता सहित उक्त समूह से संबंधित नामांकित बच्चों से संबंधित सूचनाएँ, टयूशन फीस एवं पोषाक तथा पाठ्यपुस्तक मद की राशि की प्रविष्टि के साथ आधार नंबर एवं अपार आई.डी. ज्ञानदीप पोर्टल पर दिनांक 10.11.2026 तक निश्चित रूप से दर्ज कर ली जाय।

10. वैसे निजी विद्यालय जिनको शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 2023–24 तक उक्त समूह के बच्चों के नामांकन के एवज में प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त है एवं शैक्षणिक सत्र 2024–25 तथा 2025–26 में ऑनलाईन नामांकित बच्चों को अगले वर्ग कक्ष में उपस्थिति के आलोक में दिनांक 15.11.2026 तक पोर्टल पर प्रमोट/ड्रॉप आउट कर दिया जाय।

11. जिला शिक्षा कार्यालय जाँच पदाधिकारी के लिए संलग्न विहित प्रपत्र के अनुरूप ही जिला स्तरीय समिति की अनुशंसित कार्यवाही रखना/पोर्टल पर दिनांक 30.11.2026 तक अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति प्रक्रिया :–

चरण	गतिविधि	कार्य निष्पादन
1	ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकृत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय	ज्ञानदीप पोर्टल
2	पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों की सूची	ज्ञानदीप पोर्टल
3	पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा सभी विवरण, बैंक विवरणी सहित दर्ज/अपलोड करना	संबंधित निजी विद्यालय
4	पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा सत्रवार एवं कक्षावार छात्रों को अगले कक्षा में प्रोन्नत करना	संबंधित निजी विद्यालय
5	पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा सत्रवार एवं कक्षावार छात्रों के ड्रॉप आउट की जानकारी प्रदान करना	संबंधित निजी विद्यालय

6	सभी बच्चों का आधार नंबर एवं अपार आई.डी. पोर्टल पर दर्ज करना	संबंधित निजी विद्यालय
7	जिला पदाधिकारी द्वारा जाँच पदाधिकारी नामित करना	जिला पदाधिकारी
8	जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा विद्यालय से संबंधित डाटा डाउनलोड करना एवं जाँच पदाधिकारी को प्रस्तुत करना	जिला शिक्षा पदाधिकारी
9	जाँच पदाधिकारी द्वारा विद्यालय की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना एवं जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का समेकन कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित जाँच पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी
10	जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन की अनुशंसा	संबंधित जिलास्तरीय समिति
11	समिति की अनुशंसा की कार्यवाही को पोर्टल पर अपलोड करना	जिला शिक्षा पदाधिकारी
12	संबंधित एजेन्सी द्वारा पोर्टल पर अपलोड डाटा का सत्यापन	प्रोग्रामर, ज्ञानदीप पोर्टल
13	विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा सत्यापित डाटा का समीक्षोपरांत अनुशंसा	विभागीय स्तर पर गठित समिति
14	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि DBT के माध्यम से भुगतान करने हेतु बैंक खाता सत्यापन के लिए NIC पटना को डाटा का प्रेषण	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
15	NIC पटना द्वारा PFMS के माध्यम से संबंधित निजी विद्यालयों का बैंक खाता जाँचोंपरांत DBT के माध्यम से संबंधित निजी विद्यालयों के बैंक खाता में भुगतान का प्रेषण	NIC, पटना एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, DBT, शिक्षा विभाग

विश्वासभाजन

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–08/RTE 15–17/2026–1163 पटना, दिनांक 03·11·2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० एवं समग्र शिक्षा अभियान) एवं सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

निजी विद्यालयों द्वारा प्रतिपूर्ति के दावा का विहित जाँच पत्र

1. निजी विद्यालय का नाम/पता :–
2. UDISE कोड :–
3. प्रस्वीकृति प्रमाण–पत्र संख्या :–
4. शैक्षणिक सत्र 2024–25

कक्षा	RTE Act, 2009 की धारा 12 (1) (c) के तहत नामांकित छात्रों की संख्या (पोर्टल पर उपलब्ध संख्या)	ट्यूशन फीस की राशि प्रति छात्र (वार्षिक)	पोशाक मद की राशि प्रति छात्र	पुस्तक मद की राशि प्रति छात्र	जाँचोंपरांत विद्यालय को प्रति छात्र अनुमान्य प्रतिपूर्ति की राशि	जाँचोंपरांत प्रतिपूर्ति प्राप्ति योग्य छात्रों की कुल संख्या	कुल अनुमान्य प्रतिपूर्ति की राशि (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
कक्षा–1 (ऑनलाईन नामांकन)							
कक्षा–2							
कक्षा–3							
कक्षा–4							
कक्षा–5							
कक्षा–6							
कक्षा–7							
कक्षा–8							
कुल							

5. शैक्षणिक सत्र 2025–26

कक्षा	RTE Act, 2009 की धारा 12 (1) (c) के तहत नामांकित छात्रों की संख्या (पोर्टल पर उपलब्ध संख्या)	ट्यूशन फीस की राशि प्रति छात्र (वार्षिक)	पोशाक मद की राशि प्रति छात्र	पुस्तक मद की राशि प्रति छात्र	जाँचोंपरांत विद्यालय को प्रति छात्र अनुमान्य प्रतिपूर्ति की राशि	जाँचोंपरांत प्रतिपूर्ति प्राप्ति योग्य छात्रों की कुल संख्या	कुल अनुमान्य प्रतिपूर्ति की राशि (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
कक्षा–1 (ऑनलाईन नामांकन)							
कक्षा–2							
कक्षा–3							
कक्षा–4							
कक्षा–5							
कक्षा–6							
कक्षा–7							
कक्षा–8							
कुल							

6. RTE के तहत नामांकित बच्चों से ट्यूशन फीस लिया गया है अथवा नहीं :–
(छात्रों एवं अभिभावकों से पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जाए एवं उनका बयान भी दर्ज किया जाए)

7. RTE के तहत नामांकित बच्चों को विद्यालय द्वारा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराया गया है अथवा बच्चों द्वारा क्रय किया गया है।
(छात्रों एवं अभिभावकों से पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जाए एवं उनका बयान भी दर्ज किया जाए)।

8. RTE के तहत नामांकित बच्चों को विद्यालय द्वारा निःशुल्क पोषाक उपलब्ध कराया गया है अथवा बच्चों द्वारा क्रय किया गया है।
(छात्रों एवं अभिभावकों से पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जाए एवं उनका बयान भी दर्ज किया जाए)।

9. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य :–

जाँच की तिथि :–

जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर
पदनाम